भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2168

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार

2168. **श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से अब तक केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विदेशी संस्थाओं के साथ विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा संस्थागत व्यवस्था का देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सरकार द्वारा समर्थित माध्यमों से विदेशी रोजगार प्राप्त करने वाले भारतीय कामगारों का देश–वार, राज्य–वार और क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार का स्वरूप, कौशलगत श्रेणियां, औसत वेतन, अनुबंध की अवधि तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों का देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित कामगारों की कार्य परिस्थितियों की निगरानी करने, वेतन को सत्यापित करने, कल्याण सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों के निवारण हेतु कौन–कौन से संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (घ) 2021 से विदेशी रोज़गार के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों और संस्थागत व्यवस्थाओं का देश-वार विवरण, तथा इन व्यवस्थाओं के तहत नियोजित श्रमिकों की कार्य स्थितियों की निगरानी करने, वेतन सत्यापित करने, कल्याण सुनिश्चित करने और शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित संस्थागत तंत्रों का विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है।

(ख) और (ग) ईसीआर पासपोर्ट रखने वाले भारतीय श्रमिकों के ईसीआर देशों में विदेशी रोज़गार हेतु प्रवासन को विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। 2014 में पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, ईसीआर देशों में रोज़गार के लिए 52 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रवासन मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि, यह पोर्टल यह जानकारी प्रदान नहीं करता है कि प्रवासी श्रमिक किसी द्विपक्षीय रूपरेखा के तहत या किसी अन्य माध्यम से रोज़गार के लिए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2021 से ईसीआर देशों में विदेशी रोज़गार प्राप्त करने वाले ईसीआर भारतीय श्रमिकों का देश-वार विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

अनुबंध 'क'

हस्ताक्षरित *करारों*/ समझौता ज्ञापनों की स्थिति – 2021 से आगे

प्रवासन और आवाजाही साझेदारी करार / समझौता ज्ञापन , श्रम आवाजाही करार

क्र.सं.	**देश**	**समझौता ज्ञापन / करार का नाम**	**हस्ताक्षर की तिथि और वैधता**	**संस्थागत तंत्र**
1.	ऑस्ट्रेलिया	प्रवासन और आवाजाही साझेदारी करार	23.05.2023 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 4 वर्षों के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें आवाजाही , वापसी और अनियमित प्रवासन से निपटने के विषयगत उप-समूह शामिल हैं।
2.	ऑस्ट्रिया	व्यापक प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर करार	13.05.2023 को हस्ताक्षरित; अनिश्चित काल के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया गया है, जिसमें दो उप-समूह शामिल हैं: आवाजाही , नवाचार और प्रौद्योगिकी पर उप-समूह, और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर उप-समूह।
3.	डेनमार्क	आवाजाही और प्रवासन साझेदारी पर करार	22.02.2024 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 7 वर्षों के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें दो उप-समूह समितियां शामिल हैं: स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर उप-समूह समिति और कुशल आवाजाही पर उप-समूह समिति।
5.	जर्मनी	व्यापक प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर करार	05.12.2022 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 7 वर्षों के लिए वैध।	समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करने और इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है।
6.	इटली	प्रवासन और आवाजाही पर करार	02.11.2023 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 5 वर्षों के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है, जिसमें चार समर्पित उप-समूह शामिल हैं: सुरक्षित और कानूनी प्रवासन, एवं मूल देश में तकनीकी-भाषाई प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर उप-समूह; अनियमित प्रवासन की रोकथाम और मुकाबला पर उप-समूह; स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की आवाजाही पर उप-समूह; और अत्यधिक योग्य कर्मियों के रोज़गार, विशेष रूप से शिक्षाविद और अनुसंधान क्षेत्रों में, पर उप-समूह।
7.	यूके	प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर समझौता	04.05.2021 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 7 वर्षों के लिए वैध।	समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपयुक्त प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एक संयुक्त

		ज्ञापन		कार्य समूह का गठन किया गया है।
8.	यूरोपीय संघ	आवाजाही पर सहयोग के व्यापक *रूपरेखा* पर समझौता ज्ञापन	27.01.2026 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 7 वर्षों के लिए वैध	इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करने और कार्यान्वयन व्यवस्थाओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है।
9.	फिनलैंड	प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर समझौता ज्ञापन	05.03.2026 को हस्ताक्षरित; 4 वर्षों के लिए वैध	एक संयुक्त कार्यान्वयन समिति समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की देखरेख और सुविधा के लिए जिम्मेदार संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती है।
10.	नीदरलैंड	प्रवासन और आवाजाही साझेदारी पर समझौता ज्ञापन	16/17 मई 2026 को हस्ताक्षरित; अनिश्चित काल के लिए वैध	एक संयुक्त कार्य समूह समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उसमें निर्धारित व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है।
11.	स्लोवाकिया	श्रम प्रवासन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	15.06.2026 को हस्ताक्षरित; अनिश्चित काल के लिए वैध	कार्यान्वयन की निगरानी और प्रगति की समीक्षा के लिए "जहाँ आवश्यक हो" एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाएगा।

श्रम आवाजाही करार / समझौता ज्ञापन

क्र.सं.	**देश**	**समझौता ज्ञापन / करार का नाम**	**हस्ताक्षर की तिथि और वैधता**	**संस्थागत तंत्र**
1.	इज़राइल	इज़राइल राष्ट्र में विशिष्ट श्रम बाज़ार क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के अस्थायी रोज़गार को सुगम बनाने पर करार	03.11.2023 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 3 वर्षों के लिए वैध	कार्यान्वयन या व्याख्या के मुद्दों को हल करने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्र-विशिष्ट कार्यान्वयन प्रोटोकॉल (उदा. निर्माण क्षेत्र, घरेलू देखभालकर्ता) दैनिक कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए दोनों पक्षों से सहयोगी अधिकारियों और फोकल पॉइंट्स को नामित करता है।

2.	जापान	"विनिर्दिष्ट कुशल कार्यकर्ता" से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी की *अवसंरचना* पर सहयोग ज्ञापन	18.01.2021 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 10 वर्षों के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह कार्यान्वयन संबंधी मामलों की देखरेख करता है और दोनों पक्षों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
3.	मलेशिया	श्रमिकों की भर्ती, रोज़गार और स्वदेश वापसी पर समझौता ज्ञापन	20.08.2024 को हस्ताक्षरित; 5 वर्षों के लिए वैध, आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।	संयुक्त कार्य समूह करार ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और मलेशिया में श्रमिकों और नियोक्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले रोज़गार संबंधी मुद्दों का समाधान करता है।
4.	मॉरीशस	भारत से श्रमिकों के रोज़गार पर समझौता ज्ञापन	10.05.2023 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 10 वर्षों के लिए वैध।	एक संयुक्त कार्य समूह समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है और इसमें सुधार के प्रस्ताव तैयार करता है, जिसकी प्रत्येक बैठक का एजेंडा और संरचना आपसी परामर्श से तय की जाती है।
5.	पुर्तगाल	पुर्तगाली गणराज्य में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर करार	21.09.2021 को हस्ताक्षरित; 5 वर्षों के लिए वैध, दोनों पक्षों की सहमति से नवीनीकृत किया जाएगा।	इस समझौते के तहत, भारत और पुर्तगाल लागू कानूनों और प्रक्रियाओं पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।
6.	रूस	भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच एक राष्ट्र के नागरिकों की दूसरे राष्ट्र के क्षेत्र में अस्थायी श्रम गतिविधि पर करार; और भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच अनियमित प्रवासन से निपटने में सहयोग पर करार	04.12.2025 को हस्ताक्षरित; स्वतः नवीनीकरण के साथ 5 वर्षों के लिए वैध।	भारत-रूस श्रम गतिविधि करार कार्यान्वयन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का प्रावधान करता है।

यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त समन्वय और जानकारी का आदान-प्रदान कार्य समूह स्थापित करता है जो संभावित रिक्तियों, क्षेत्रों, कौशल आवश्यकताओं और लागू घरेलू कानूनों पर जानकारी का आदान-प्रदान करता है, और कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को हल करने के लिए काम करता है।

अनुबंध 'ख'

2021 - 2026 तक ईसीआर देशों की यात्रा करने वाले ईसीआर श्रेणी के पासपोर्टों के लिए जारी की गई प्रवासन मंजूरियों का देश-वार विवरण

देश/वर्ष	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**कुल योग**
अफगानिस्तान							0
बहरीन	6382	10232	7376	8607	6827	1903	41327
इंडोनेशिया		3		3	9	15	30
इराक	935	1430	1599	2761	1264	162	8151
जॉर्डन	2386	2487	1187	3137	2192	1422	12811
कुवैत	10158	71432	48212	39862	47087	11455	228206
लेबनान	54	282	200	130	36	4	706
लिबिया							0
मलेशिया	36	12836	15319	5606	3059	2662	39518
ओमान	19453	31994	21336	24258	29158	13862	140061
कतर	49579	30871	30683	23785	21907	8264	165089
सऊदी अरब	32845	178623	200713	167598	136811	42988	759578
दक्षिण सूडान		1			73	48	122
सूडान				2			2
सीरियाई अरब गणराज्य							0
थाईलैंड	1	3					4
संयुक्त अरब अमीरात	10844	33233	71687	111308	200685	81238	508995
यमन							0
कुल योग	132674	373427	398312	387057	449108	164023	1904601
